न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 4/2021

उनवान

1. जीवणी पत्नी छगना
2. रामगोपाल पुत्र छगना
3. प्रेम पुत्री छगना
4. गीता पुत्री छगना जाति कुम्हार नि0 नान्दला, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. नवलकिशोर पुत्र राधेश्याम जाति अग्रवाल नि0 सिन्धी मौहल्ला, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

–– अप्रार्थी :– 1. जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल
2. जरियें राज0 पैरोकार

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 14.7.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल नान्दला के खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.03 है0मु0 चाह प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1009 पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1006 में से होते हुये उत्तर से दक्षिण की ओर अपने खातेदारी खेतों में प्रवेश करते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के पिता को उनके जीवन काल में अपनी क्रयशुदा भूमि में से दिनांक 03.12.85 को बैलगाडी अथवा मोटर ट्रक का रास्ता देने का करार किया था जो कि पत्रावली के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1006 मे से आवागमन करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम नान्दला में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1009 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1006 मे से प्रार्थीगण को 15 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1009 में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त चाह कई वर्षो से सिंचाई के काम में नही आ रहा है। मौके पर कुआ अथवा सिंचाई का कोई अन्य साधन उपलब्ध नही है। ना ही प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त चाह से लगती हुयी अन्य कोई कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये व स्वयं की जमीन उचे दामों में बैचने की बदनियति से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये मार्ग की आत्यन्तिक आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण को मात्र सुविधा के लिये रास्ता दिया जाना विधि विरूद्व है। उक्त प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नही होते है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्तें उपलब्ध है जिनका प्रार्थीगण द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के पिता के साथ कोई करार नही किया है। उक्त दस्तावेज पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी व कूटरचित है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में दो राररस्ते उपलब्ध है किन्तु उक्त रास्तों की चौडाई 20 फिट होने से प्रार्थीगण की आवश्यकता अनुसार नही है। रिपोर्ट में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार उक्त रिपोर्ट में चाह की स्थिति व आत्यतिंक आवश्यकता के संबध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित नही है। उक्त आपत्ति स्वीकार कर न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब आपत्ति व लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.21 को जो रिपोर्ट तैयार की गयी उसमें स्पष्ट रूप से लघुत्तम मार्ग खसरा नम्बर 1006 में से मुर्तिब किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपनी सहमती दी है। जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्वयं की साक्ष्य से बडा कोई सुसंगत दस्तावेज नही होता है। जिसकी पुष्टि स्टाम्प पर लिखी तहरीर से सुस्पष्ट है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आर0आर0टी0 (2016) पेज न. 1149–1151, आर0बी0जे0 2019 पेज संख्या 209–13, पेज संख्या 443 से 447, आर0आर0टी0 2019 पेज 574–577 की नजी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के पिता के साथ कोई करार नही किया है। उक्त दस्तावेज पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर नही है। प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी व कूटरचित है। साथ ही उक्त इकरारनामें में वंर्किग खसरा नम्बर 993 व 994 पर आने–जाने के लिये मार्ग देने का उल्लेख बताया गया है उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 1011 बने है जो प्रार्थीगण के नाम नही है। तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 993 व 994 के हाल खसरा नम्बर 1011 पर आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर मार्ग पूर्व से ही बना हुआ है। पूर्व में जो मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये हस्ताक्षर किये थे। अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट में स्वयं की खातेदारी भूमि में से रास्ता देने की कोई स्वीकृति नही दी थी। उक्त रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति पेश की गयी है। जिस पर न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया तथा न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करते समय उभयपक्ष उपस्थित थे उक्त मौका रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के कथन व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही तैयार [illegible] जिस पर [illegible] के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट बाबत कोई आपत्ति वर्तमान में शेष [illegible] न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आत्यतिंक आवश्यकता के बारे में निर्धारण करना है। जो कि [illegible] नही होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर [illegible] बनाम राजस्व मण्डल आदेश दिनांक 26.09.16 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। खसरा नम्बर 1009

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 0.03 गै0मु0 चाह प्रार्थीगण के पूर्वज छगना पुत्र माधू 1/2 हि0 व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 1006 अप्रार्थी संख्या 1 की एकल खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद व न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त चाह की भूमि पर आवागमन हेतु वर्तमान में दो रास्ते उपलब्ध है जिनकी चौडाई 20 फिट है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश रिपोर्ट में उक्त रास्तें की 20 फिट चौडाई प्रार्थीगण की आवश्यकता अनुसार उचित नही बतायी गयी है किन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में 15 फिट चौडे रास्ते की मांग ही की है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में मौजूद 20 फिट चौडे रास्ते से प्रार्थीगण की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। साथ ही न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त चाह मौके पर कई वर्षो से मौजूद नही है। मौके पर चाह के स्थान पर मिट्टी व पत्थर का टीला बना हुआ है। चाह मौके पर मौजूद नही होने के कारण उक्त चाह का सिंचाई में उपयोग लिया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण का कथन है कि वे उक्त बंद पडे चाह की भूमि पर बोरिंग खुदवाना चाहते है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 जो उक्त बंद पडे चाह की भूमि का सह खातेदार है ने बोंरिग खुदवाने से इंकार किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 1009 के आस-पास अन्य कोई कृषि भूमि नही है। प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमि राजमार्ग से दूसरी तरफ लगभग 1/2 किलोमीटर दूर है। मौका रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण राजमार्ग से सीधा रास्ता चाहते है तथा वर्तमान में उपलब्ध मार्ग को सीधा व सुलभ नही मानते है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में जो इकरारनामा पेश किया है वह छाया प्रति है प्रार्थीगण द्वारा मूल इकरारनामा पेश नही किया है। उक्त इकरारनामें पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर भी नही है उक्त इकरारनामा अंपजीकृत है। जिसकी सत्यता का निर्धारण इस प्रार्थना पत्र की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरन राजस्व न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त इकरारनामें में वंर्किग खसरा नम्बर 993 व 994 पर आने-जाने के लिये मार्ग देने का उल्लेख बताया गया है उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 1011 बने है जो प्रार्थीगण के नाम नही है। तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 993 व 994 के हाल खसरा नम्बर 1011 पर आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर मार्ग पूर्व से ही बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 पूर्व में तैयार रिपोर्ट से संतुष्ट नही होने के कारण ही उसके द्वारा न्यायालय में आपत्ति पेश की गयी है। मौका रिपोर्ट में पक्षकार के हस्ताक्षर मात्र होने से किसी पक्षकार की सहमती की अवधारणा नही की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में जो लघुतम मार्ग दिखाया गया है उससे अप्रार्थी की जोत खण्डित होती है। मौका रिपोर्ट अनुसार द्वितीय व तृतीय मार्ग वर्तमान में चालू है तथा आवागमन हेतु उपलब्ध है। पूर्व में मौजूद चालू मार्ग व नवीन चाहे गये मार्ग की दूरी में अत्यधिक अंतर नही है। प्रार्थीगण मात्र अपनी सुविधा हेतु 150 वर्ग मीटर भूमि के टूकडे पर आवागमन हेतु नवीन मार्ग का अनुतोष चाहते है जिसका उपयोग उनके द्वारा कभी नही किया गया है जो न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जिस भूमि पर आवागमन हेतु मार्ग की आवश्कता बताते है। वहा मौके पर चाह मौजूद नही है। उक्त भूमि का कुल रकबा 0.03 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। अर्थात प्रार्थीगण के हिस्से में 150 वर्ग मीटर भूमि आती है जिस पर कृषि कार्य भी नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर बोरिंग खुदवाना चाहा है जबकि सह खातेदार अप्रार्थी ने बोंरिग खुदवाने से इंकार किया है। प्रार्थीगण बोंरिग खुदवाते है तो भी मौके पर 20 फिट चौडे रास्ते पूर्व में उपलब्ध है। प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 1009 के आस-पास अन्य कोई भूमि भी नही है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व नही होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार की अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण रास्ते के स्थान पर सुलभ रास्ता चाहते है जो धारा 251 के प्रावधान के प्रतिकूल है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा पायी जाती है। अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 1006 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:17 IST
Reason: SelfAttested